संख्या-22/2022/2167377/2022/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक:04अगस्त, 2022**

विषय: निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2297-98, दिनांक 01-07-2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके संबंध में शासन के पत्र संख्या-21/2022/2155935/2022/श्रम-2, दिनांक 15-07-2022 द्वारा दी गयी अनापत्ति में प्रश्नगत योजना के प्रस्तर-5 (देय हितलाभ का विवरण) की तालिका के स्तम्भ 2 में अन्त्येष्टि हेतु एकमुश्त देय हितलाभ की धनराशि में अंकीय त्रुटि का उल्लेख कर इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही अनुरोध किया गया है।

3- इस संबंध में प्रश्नगत योजना में शासन स्तर से जारी उक्त पत्र संख्या-21/2022/2155935/2022/श्रम-2, दिनांक 15-07-2022 में संशोधन निम्नानुसार किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

1-योजना का नाम: निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना(KMDSY)

2-योजना का उददेश्य-

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे अथवा उसके आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

3-पात्रता-

I. इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत है।

II. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से तात्पर्य प्रथमत: सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी(जैसी भी स्थिति हो) को, द्वितीयत: लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र/अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित मता/पिता और अंतत: लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।

III. हत्या, सर्पदंष, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुयी मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

IV. निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आश्रित द्वरा आवेदन करने पर आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

4-आवेदन की प्रक्रिया-

निर्माण श्रमिक की दिव्यांगता/मृत्यु की स्थिति में निर्माण श्रमिक/आश्रित द्वारा दिव्यांगता/मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन पत्र समस्त आवश्यक अभिलेख सहित जनसेवा केन्द्र/बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in के माध्यम से किया जाना होगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा-

I. ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

II. आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।

III. आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।

IV. प्राथमिक सूचना रिपोर्ट/पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना में मृत्यु की दशा में)

V. दिव्यांगता की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट/चिकित्सीय प्रमाण पत्र।

VI. पंजीकृत श्रमिक/आवेदक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5-देय हितलाभ का विवरण-

इस योजना के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में देय हितलाभ का विवरण निम्नानुसार है:

मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में	**कुल देय धनराशि**	**प्रतिमाह देय धनराशि**
1	2	3
पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में	रू0 5,00,000 (रूपये पांच लाख) एवं रू0 25,000/- (अन्त्येष्टि व्यय) कुल रू0- 5,25,000 (पांच लाख पच्चीस हजार मात्र)। (रू0 05 लाख 05 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में तथा **25,000/- (रूपये पच्चीस हजार)(एकमुश्त)**	रू0 प्रतिमाह लगभग रू0 9,395/- (वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है।)
पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में	रू0 2,00,000 (रूपये दो लाख) एवं रू0 25,000/- (अन्त्येष्टि व्यय) कुल रू0- 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार मात्र)। (रू0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में तथा **25,000/- (रूपये पच्चीस हजार)(एकमुश्त)**	रू0 प्रतिमाह लगभग रू0 8,736/- (वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है।)
अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में।	रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र)।(एकमुश्त)	------

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पूर्ण(100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में।	रू0 4,00,000/-(चार लाख मात्र)।(रू0 04 लाख 04 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में।)	प्रतिमाह लगभग रू0 9,172/- (वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है।)
स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम होने पर	रू0 3,00,000/- (तीन लाख मात्र)।(रू0 03 लाख 03 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में)	प्रतिमाह लगभग रू0 8,953/- (वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है।)
स्थायी दिव्यांगता 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत से कम होने पर	रू0 2,00,000/- (दो लाख मात्र)।(रू0 02 लाख 02 वर्ष तक मासिक किस्त के रूप में)	प्रतिमाह लगभग रू0 8,736/- (वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के अनुसार, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है।)

<u>देय हितलाभ के भुगतान की प्रक्रिया-</u>

I. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि व्यय रू0 25,000/- तथा हितलाभ रू0 05 लाख की स्वीकृति की जायेगी। अन्त्येष्टि व्यय रू0 25,000/-का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा धनराशि रू0 05 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 05 वर्ष (60 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जो कि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।

II. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि व्यय रू0 25,000/- तथा हितलाभ रू0 02 लाख की स्वीकृति की जायेगी। अन्त्येष्टि व्यय रू0 25,000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा धनराशि रू0 02 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आगणित ब्याज एवं मूलधन मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 02 वर्ष(24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जो कि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा जायेगी।

III. अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 01 लाख की स्वीकृति की जायेगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा, उक्त की स्वीकृति संबंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जायेगी।

IV. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण (100 प्रतिशत) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ रू0 04 लाख की स्वीकृति की जायेगी तथा धनराशि रू0 04 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धरित की जायेगी, जो 04 वर्ष(48 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी।

V. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना/बीमारी के फलस्वरूप हुई(50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत से कम) स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ रू0 03 लाख की स्वीकृति की जायेगी तथा धनराशि रू0 03 लाख पर प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त निर्धारित की जायेगी, जो 03 वर्ष (36 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ सकती है। उक्त की स्वीकृति संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी।

VI. अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्य स्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में रू0 01 लाख के देय हितलाभ को छोड़कर समस्त हितलाभ उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-2 पर वर्णित अवधि हेतु ही मासिक किस्त के रूप में दिये जायेंगे, परन्तु किसी विशेष परिस्थिति जैसे पुत्री के विवाह, गम्भीर बीमारी एवं बच्चों की उच्च शिक्षा की स्थिति में एक वर्ष की अवधि के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी की अनुशंसा पर सचिव, बोर्ड की स्वीकृति द्वारा अवशेष धनराशि एकमुश्त आवेदक द्वारा निकाली जा सकती है।

VII. उक्त योजना के अंतर्गत देय हितलाभ कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत नियमानुसार अनुमन्य क्षतिपूर्ति/हितलाभ के अतिरिक्त होगा।

VIII. पंजीकृत श्रमिक/आवेदक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

<u>6- आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रकिया-</u>

निर्माण श्रमिक की मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी-

I. श्रमिक की दिव्यांगता/मृत्यु होने पर श्रमिक/आश्रित द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जॉच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर हितलाभ के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।

II. पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में एवं अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुयी दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में हितलाभ प्राप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों को जॉच अधिकारी की अनुशंसा के 15 दिन के भीतर अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त द्वारा अपने स्तर से परीक्षण कर स्वीकृति हेतु स्वीकर्ता अधिकारी संबंधित जिलाधिकारी को आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।

III. स्वीकर्ता अधिकारी/जिलाधिकारी आवश्यक होने पर संयुक्त टीम गठित कर जांच करा सकते है।

IV. आवेदन के अग्रसारण के 15 दिन के भीतर स्वीकृत अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पर स्वीकृति के संबंध मं कार्यवाही किया जाना होगा।

V. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खाते/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता अंतरित की जायेगी। यह समस्त कार्यवाहियॉ ऑनलाइन वेबसाइट/पोर्टल पर भी तदिनांक ही सम्पादित की जायेंगी। उक्त समय-सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

<u>7-कठिनाइयों का निवारण-</u>

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशा निर्देश आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- शासन के पत्र संख्या-21/2022/2155935/2022/श्रम-2, दिनांक 15-07-2022 द्वारा दी गयी अनापत्ति विषयक पत्र में उक्तानुसार संशोधन करते हुए '' निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना'' पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि बोर्ड, प्रश्नगत योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का पूर्णतः अनुपालन पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में सुनिश्चित करायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

संख्या-22/2022/2167377(1)/2022/श्रम-2,तददिनांक,

प्रतिलिपि:-

1-श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।